IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

समानता बयानबाजी से परे – महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षित सीटों के प्रभाव का आकलन"

Beyond equality rhetoric - assessing the impact of reserved seats in Panchayati Raj for women"

शोधार्थी – नुसरत आरा. शेख शोध निर्देशक- डॉ. रामसिया चर्मकार

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय (RNTU) भोपाल (मध्यप्रदेश)

गुलमोहर कालोनी पंधाना रोड खंडवा (450001) (मध्यप्रदेश)

पंचायती राज का एक परिचय

पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर आधारित है ,1.ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, 2. ब्लॉक या तालुका के स्तर पर पंचायत समिति, 3. जिला स्तर पर जिला परिषद है । 73 वें सविधान संशोधन मे 11 वी अनुसूची के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243 मे 29 विषय वर्णित हैं । 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप मे मनाया जाता है, पंचयती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से

प्रारंभ हुआ है, पंचायत का चुनाव 5 वर्ष मे होता है – पंचायत भंग होने की स्तिथि मे 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है ।[1] पंचायत के चुनावों का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है

सारांश -

यह शोध पत्र पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रभाव पर प्रकाश डालता है। भारत में जमीनी स्तर (स्थानीय स्तर) पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सकारात्मक नीति की प्रभावशीलता की खोज करते हुए, यह पेपर इस नीति के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभावों को जानने के लिए प्राथमिक और दिवतीय स्त्रोतों से सूचनाओ का संकलन किया गया यह शोध पत्र बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाता है। इस क्षेत्र मे अध्ययन का उद्देश्य लैंगिक समानता और सकारात्मक कार्रवाई पर चल रहे प्रवचन में योगदान देना, पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सफलताओं, चुनौतियों और संभावित क्षेत्रों पर प्रकाश डालना है।

परिचय:- पृष्ठभूमि

भारत में पंचायती राज प्रणाली[2] जमीनी स्तर के स्थानीय स्वशासन पर जोर देती है। यहा शासन के विकेंद्रीकृत रूप का प्रतिनिधित्व करती है, वर्ष 1992 में संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। 1992 में अधिनियमित इस प्रणाली का उद्देश्य ग्राम-स्तरीय निर्वाचित निकायों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपकर सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। अतः विषय वस्तु की पृष्ठभूमि को समझने के लिए पंचायती राज व्यवस्था एवं उसमें महिलाओं की भूमिका सम्बन्धित लेखों, पुस्तकों, शोध ग्रन्थों, एवं शोध पत्रों, का अध्ययन किया गया है।

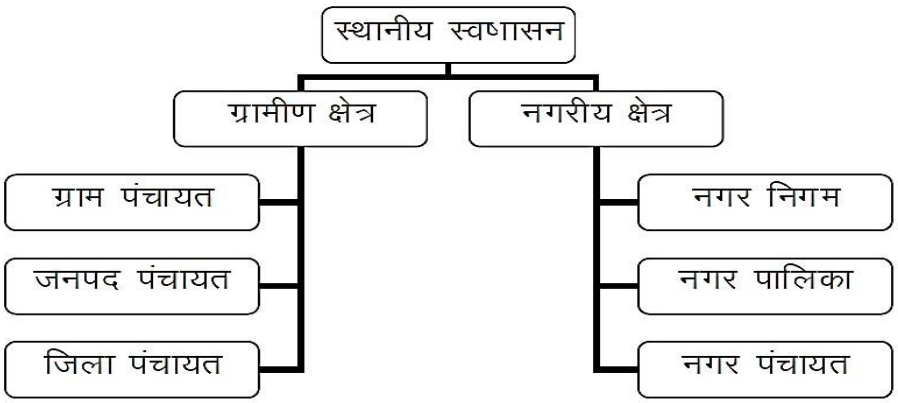

पारिभाषिक शब्द – बहु-आयामी दृष्टिकोण, स्वशासन, विकेंद्रीकृत रूप, प्रतिनिधित्व, अधिनियम, अनुसंधान, अवलोकन

[1] मिजोरम, मेघालय, ओर नागालैंड मे पंचायतों का गठन नहीं किया गया है

[2] भारत मे पंचायती राज के जन्मदाता के रूप मे बलवंत राय मेहता को जाना जाता है ।

73वें संशोधन अधिनियम, 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं -

- एक त्रि-स्तरीय ढांचे की स्थापना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत)।
- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना।
- हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव।
- अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण।
- महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण।
- पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन।
- राज्य चुनाव आयोग का गठन।
- 73 वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं –
  - ❖ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना।
  - ❖ राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटियों, टोल टैक्स, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार।, (जगन मैथ्यूज, 2012)

Internet side

ऐतिहासिक संदर्भ और महिला आरक्षण

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पहल के रूप में देखा जाता है ।

भूतकाल से ही, भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए सतत प्रयास हो रहे है 73वें संवैधानिक संशोधन में यह अनिवार्य किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं में कम से कम एक तिहाई सीटें (33%) महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं, जिससे उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। स्थानीय शासन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे उनमे समस्या समाधान और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का विकास हो सका, बदलते समय के साथ- साथ महिलाओ की बढती भागीदारी उनके सफल नेतृत्व का प्रतिक है महिलो के नेतृत्व को देखते हुवे वर्तमान में महिलाओ के लिए आरक्षण को 50 % कर दिया गया है जो महिलाओं के राजनीतिक कौशल को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

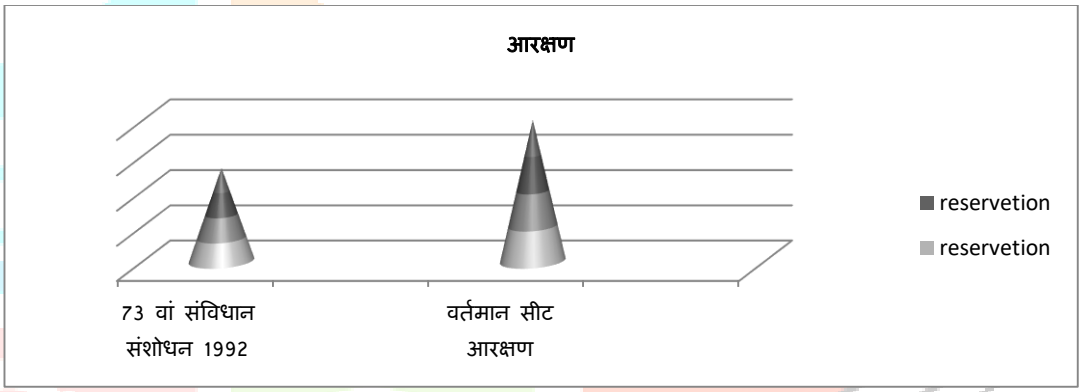

साहित्य समीक्षा –

पंचायती राज व्यवस्था के संबंध मे महिला सशक्तिकरण को लेकर कई साहित्यों अध्ययन किए गए है । **आस्कर लेविस** –इन्होंने अपने शोध कार्य मे पाया की उत्तर भारत मे ग्रामीण जीवन से संबंधित, महिलाओ के ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण, धन, पारिवारिक स्थिति ,आयु, व्यक्ति के शिक्षण, लक्षण, नेतृत्व से मेल-जोल एवं पारिवारिक प्रभावशीलता, वंश आदि पर निर्भर करता है।

- **चक्रवृति एवं भट्टाचार्य** (1993) –अपने अध्ययन मे इन्होंने ग्रामीण शक्ति संरचना के साथ जाति एवं वर्ग का ग्रामीण राजनीति से संबंध स्पष्ट करते हुवे ग्रामीण नेत्रत्व की विवेचना की हैं । जो महिलाओ के कमजोर नेतृत्व को दर्शाता है ।
- **प्रीति सतपथी. महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार: विश्लेषणात्मक अध्ययन** स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नारी की स्थिति में काफी सुधारात्मक परिवर्तन हुए है । आजादी के 64 वर्षों के पश्चात हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाये गये अधिनियमों की विवेचना करते हैं तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि हमारे देश में नारी की गरिमामयी स्थिति को बनाये रखने के लिए बहुत सारे कानून बनाये गये हैं। किन्तु पर्याप्त कानूनी शिक्षा के अभाव में कानूनों की जानकारी उनकों नहीं मिल पाती यहाँ तक कि अधिकांश महिलाओं को पता ही नहीं हो पाता कि उनके कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं

- **पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक प्रशासनिक भूमिकाः एक अवलोकन डॉक्टर तिवारी गीता डॉक्टर हेमचन्द्र**

भारत में महिलाओं का विशाल वर्ग समुह अधीनता तथा उपेक्षित वर्ग का जीवन यापन कर रहा है और यही कारण है कि समाज में असमानता बड़ती जा रही है केवल 13% महिला ही एक सजग प्रतिनिधि होने के नाते निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती नज़र आती हैं अर्थात् स्वयं सभी विषयों पर स्वतन्त्रता पूर्वक निडर होकर निर्णय लेती हैं। यह महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता हैं। परन्तु बहुसंख्यक 75.04% महिला प्रतिनिधि कभी कभी ही स्वविवेक से निर्णय लेती हैं या कह सकते है कि वे अधिकतर अपने कार्यों व अधिकारों के प्रयोगों से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। इतने अधिकारों के बावजूद 11.06% महिला प्रतिनिधि कभी भी निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका नहीं निभाती हैं। उनके कत्वर्य अधिकारो का प्रयोग उनके पुरुष परिवारजनों द्वारा ही किया जाता है। वह केवल मोहर लगाकर हस्ताक्षर करने का कार्य कर रही हैं। जो एक चिन्ताजनक स्थिति को प्रदर्शित करता हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 50% आरक्षण देकर उन्हें नेतृत्व करने का अधिकार तो दिया हैं लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है उन्हें व्यवस्था में भागीदारी तो मिल चुकी है लेकिन वे प्रशिक्षित नहीं हैं। यही कारण है कि वे पंचायत व्यवस्था में नियोजन का अंग नहीं बन पा रही हैं। आज पंचायत चुनावों में भी बड़े बड़े राजनेता अपने उपयोग के लिए उन्हें इशारो पर नचाते हैं ।प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं सरपंचो की राजनीतिक व प्रशासनिक भुमिका राजनीतिक सहभागिता एवं सक्रियता का अध्ययन करता है।

स्थानीय शासन में लैंगिक समानता का महत्व-

स्थानीय शासन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आधार के रूप में कार्य करता है, यहा सामुदायिक विकास और संसाधन आवंटन को प्रभावित करता है। निर्णय लेने में विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करने और पुरुषों और महिलाओं दोनों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पंचायती राज में लैंगिक समानता महत्वपूर्ण है। स्थानीय शासन में लैंगिक समानता से तात्पर्य यहा है कि यह समाज में सामाजिक समानता की दिशा में मजबूती और सहयोग प्रदान करे। समाज के विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच लैंगिक समानता के माध्यम से, स्थानीय शासन समुदाय के सभी सदस्यों को बराबरी और सामाजिक न्याय का अधिकार करने का साधन बन सकता है। स्थानीय शासन में लैंगिक समानता नारीशक्ति को बढ़ावा देने से , यह निर्णय लेने में भी सहायक होता है। लैंगिक समानता के माध्यम से, समुदाय के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं और मांगों को समझना और समर्थन करना संभव है, स्थानीय शासन में लैंगिक समानता सामाजिक बदलाव को समुदाय के सभी सदस्यों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने से, समाज में सामाजिक समरसता की ऊँचाइयों तक पहुँच सकती है।

अनुसंधान के उद्देश्य:- इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूढना जो नीचे दिए गए है ।

1. पंचायती राज प्रणाली के भीतर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी प्रभावी हैं इस सत्यता का पता लगाना ।
2. सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के व्यापक मूल्यांकन पर जोर देते हुए अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करना
3. पंचायत से जुड़े विषयों के बारे मे महिलाए कितना जानती ओर समझती है इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूढ के लिए सरपंच महिलाओ से साक्षात्कार लिए गए जिनसे यह पता चला की महिलाए कितनी सजग है अपने सरपंच के उत्तरदाइतव आदि

साक्षात्कार मे पंचायत से जुड़े कुछ प्रश्नों की जानकारी

स. क्र.	पूछे गए प्रश्न	उत्तर	आवर्ती	प्रतिशत
1	ग्राम पंचयत की बैठक कितने अंतराल मे होना चाहिए	सही	36	36
		गलत	54	54
2	ग्राम सभा की बैठक साल मे कितनी बार होनी चाहिए	सही	60	60
		गलत	40	40
3	ग्राम सभा की बैठक मे जरूरी गणपूर्ति	सही	30	30
		गलत	70	70
4	बैठकों मे निर्णय कौन लेता है	स्वयं	30	30
		परिवार	70	70

प्रश्न-1 ग्राम पंचयत की बैठक कितने अंतराल मे होना चाहिए ?

उत्तर - ग्राम पंचयत की बैठक प्रत्येक माह मे 1 बार होनी चाहिए परंतु उत्तरदाता सरपंचों मे से 36 प्रतिशत ने ही सही उत्तर दिए 54 प्रतिशत ने गलत उत्तर दिए उन्हे इसकी जानकारी नहीं है

प्रश्न-2 ग्राम सभा की बैठक साल मे कितनी बार होनी चाहिए

उत्तर - ग्राम सभा की बैठक साल मे 2 बार होती है उत्तरदाता सरपंचों मे से 60 प्रतिशत ने ही सही उत्तर दिए 40 प्रतिशत ने गलत उत्तर दिए उन्हे इसकी जानकारी नहीं है

प्रश्न-3 ग्राम सभा की बैठक मे जरूरी गणपूर्ति क्या है

उत्तर – ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 20 व भाग यानि 5 प्रतिशत होता है उत्तरदाता सरपंचों मे से 30 प्रतिशत ने ही सही उत्तर दिए 70 प्रतिशत ने गलत उत्तर दिए उन्हे इसकी जानकारी नहीं है

प्रश्न-4 बैठकों मे निर्णय कौन लेता है

उत्तर – उत्तरदाता सरपंचों मे से 30 प्रतिशत ने कहा की वह स्वयं निर्णय लेती है उत्तर दिए 70 प्रतिशत ने कहा परिवार के सदस्य या पति ही निर्णय लेते है

स्थानीय शासन में लैंगिक समानता

एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज की दिशा में जो कदम बढ़ाया जा रहा है। वह स्थानीय स्तर पर लैंगिक समानता, राजनीतिक प्रक्रिया में साकारात्मक बदलाव आ रहा है। एक समृद्ध समाज में सभी लोग समान रूप से शामिल होते हैं, जिसमे न्यायपूर्ण निर्णय और राजनीतिक समानता होती है। जिससे आर्थिक समृद्धि हो सकती है। लैंगिक समानता सभी क्षेत्रों में कार्य करने का मौका देती है, सभी व्यक्तियों के मध्य एकदृष्टि से समानता के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य और समरसता बनी रहती है, परंतु साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाए इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगती है ।

भारतीय राजनीति मे पुरुषों का हस्तक्षेप एक दृश्य –

भारतीय संसद मे महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत निराशाजनक है। संसद में इंदिरा गांधी के 16 साल तक प्रधान मंत्री पद पर रहने को बेहतर नहीं माना जा सकता है। इंदिरा गांधी , श्रीमती भंडारनायके, ख़ालिदा ज़िया , बेनज़ीर भुट्टो, चंद्रिका कुमारतुंगा, आदि इन जैसी महिलाएँ भारत की राजनीति में बढ़ती महिला भागीदारी का परिणाम नहीं थीं । वे वंशानुगत राजतंत्रीय व्यवस्था के कारण अपने पूर्वजों की प्रसिद्धि से लाभान्वित हो रही थीं। वास्तव में भारत की संसदीय राजनीति में न केवल महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है, बल्कि साधारण प्रभुत्व वाली महिलाओ ने भी कम सक्रिय भागीदारी दिखाई है। जन प्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी प्रभावित हुई है। परंतु महिलाओं की अपने स्तर पर सोचने और निर्णय लेने की क्षमता कम विकसित है यहा हमारे लिए एक चुनौती है। ये महिलाएं पति, पिता, भाई या महिलाओं के अन्य पुरुषों के प्रभाव में काम कर रही हैं। जिससे लेकिन यह प्रारंभिक चरण है। महिलाएं यदि राजनीति की प्रक्रिया को धीरे-धीरे समझती हैं, तो वे अपने स्वविवेक से निर्णय लेना शुरू कर देंगी। इसके लिए महिला प्रतिनिधियों को स्वयं जागरूक होने और उन्हें दूसरों द्वारा जागरूक करने की जरूरत है, दूसरी ओर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुरुषों की भी आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है तो धीरे-धीरे महिलाओ मे नेतृत्व क्षमता के संख्यात्मक और महिला भागीदारी के गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे । महिलाओ की सक्रिय रूप से भागीदारी के लिए महिला पंच-सरपंचों आदि का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

आलोचनाएँ

- **सामाज का दृष्टिकोण** - महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। उनका तर्क है कि महिलाएँ योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा नहीं करेंगी, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ सकती है। समाज मे महिलाओ के लिए ऐसी स्थिति मे अपना नजरिया बदलना एक बढ़ी चुनौती होगी, कुछ लोग यह आलोचना करते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें उन्हें 'असमर्थ' बना देती हैं और समाज में उनकी कमजोर स्थिति को दर्शाती है ।
- **समर्थन की कमी:** कई बार, चुनौतीपूर्ण परिस्थितिया बनती है जैसे -आरक्षित सीटों के लिए समर्थन मे कमी होती है जिससे महिलाएं उपयुक्त स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं।
  कुछ लोग यह कहते हैं कि यह आरक्षण सिर्फ आदर्शता को बतलाता है और यहा क्षमता के आधार पर निर्धारित नहीं होना चाहिए।
- **विभिन्न वर्गों के साथ आपसी समंजस** - महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें विभिन्न वर्गों के बीच आपसी समंजस और समर्थन मे कमी का सामना करती हैं।

पंचायती राज में मौजूदा लैंगिक असमानताओं की पहचान कैसे करें।

1. **साक्षरता का आकलन :** सबसे पहले, जनसंख्या और साक्षरता का मूल्यांकन करें। इससे लोगों के शिक्षा स्तर का पता चलेगा और इससे लैंगिक भेद की समस्याओ को समझा जा सकेगा।
2. **जाति / धर्म का आकलन:** जाति , धर्म के अध्ययन के माध्यम से भी लैंगिक असमानता का पता लगा जा सकता है। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब किसी एक समुदाय के लोगों को विशेष रूप से घात पहुंचाई जाती है।
3. **आर्थिक स्थिति का आकलन:** लोगों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करें क्यों की आर्थिक असमानता लैंगिक असमानता में सहायक होती है।
4. **सामाजिक संरचना का आकलन:** समाज की संरचना का अवलोकन करें ताकि लैंगिक भेदभाव की समस्या समझी जा सकें।
5. **साक्षरता कार्यक्रमों को प्रोत्साहना:** साक्षरता कार्यक्रमों को प्रोत्साहना दे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग समाज में शिक्षित हों और लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयास करें।
6. **जागरूकता कार्यक्रम:** सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करें जिसमें लोगों को लैंगिक असमानता की समस्याओं के बारे में पता चले, और वे इसके खिलाफ स्वयं अपनी आवाज उठा सके ।
7. **समुदाय संगठनों का सहयोग :** समुदाय संगठनों का सहयोग करे ताकि वे लोगों को जानकारी दे और समर्थन प्रदान करे , खासकर वे जो लैंगिक असमानता से प्रभावित हो रहे हैं।
8. **सामाजिक सम्बंधों का अवलोकन :** सामाजिक सम्बंधों का अवलोकन करें जिससे लोगों के बीच में किस प्रकार की सामाजिक संबंध है जो उनमे समानता और असमानता का पता चल सके।

समाधान:

- **जागरूकता और शिक्षा**: लोगों को शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना महत्वपूर्ण है ताकि वे महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के आवशकताओ को समझ सकें।
- **समाज का समर्थन**: समाज में सामाजिक समर्थन को बढ़ाना देना और आरक्षित सीटों के महत्व को समझना चाहिए।
- **आरक्षण से संबंधित सीटों के प्रबंधन में सुधार**: सीटों के प्रबंधन मे सुधार करना चाहिए ताकि इसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिन्हे इसकी आवश्यकता हैं।
- **समुदायों और वर्गों के बीच आपसी समझ बढ़ाना**: विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच आपसी समझ और समर्थन को महत्व देना चाहिए ताकि आरक्षित सीटों का सही उपयोग हो सके।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, समाज में सामंजस्य और समानता की दिशा में कदम बढ़ाया जाना चाहिए ।

अनुसंधान की संरचना का निर्धारण

इस शोध पत्र को लिखते समय अध्ययन की दृष्टि से मिश्रित-पद्धति की व्याख्या की सूचनाओ के संग्रहण के लिए प्राथमिक ओर दिवतीय दोनों विधियों का प्रयोग किया गया है महिला सरपंचों से साक्षात्कार ओर विद्वानों के शोधों को मार्गदर्शन के रूप मे उपयोग मे लाया गया है जिससे वास्तविक स्थल पर उचित जानकारी प्राप्त हो सके(Arya, 2015)

निष्कर्ष –

प्रस्तुत शोध पत्र मे आधुनिक समाज के राजनीतिक क्षेत्र मे महिला आरक्षण महिलाओ की स्तिथि एवं उनके प्रभाव का आकलन प्राथमिक ओर दिवतीय आकड़ों के संकलित माध्यम से किया गया है महिला आरक्षण समानता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, इन्हे नैतिक की अनिवार्यता से आगे लाया जा सकता है। शोध पत्रों, विद्वानों के आलेखों, पत्र , पत्रिकाओ, पुस्तकों, इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों से पता चलता है की महिलों की स्तिथि मे जो सुधार आना चाहिए वह अब तक नहीं आया है यहा समानता महिलों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगती है? वह केवल सामाजिक प्रभुत्व प्राप्त पुरुषों के हाथों केवल कठपुतली के समान है जो महिलाए शिक्षित है आर्थिक स्थिति ओर वातावरण के अनुसार जिनका लालन पालन हुआ है या समाज मे पारिवारिक स्थिति ठीक-ठाक है वे ही इस क्षेत्र मे सराहनीय कार्य कर रही है परंतु आधी से अधिक महिलाए अपने अधिकारों ओर कर्तव्य को नहीं जानती जिस करण वे खुलकर नेतृत्व नहीं कर पा रही है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । इन्हे जागरूक ओर सशक्त करने के लिए सरकार, समाजसेवी संसथाओ, आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर सशक्त किए जाने की आवश्यकता है।

Bibliography

1. Arya, A. (2015, july). *भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका* . Multidisciplinary Acedmic research , pp. 1-6.
2. Agarwal, B. (2001). Participatory Exclusions, Community Forestry, and Gender: An Analysis for South Asia and a Conceptual Framework. World Development, 29(10), 1623–1648.
3. Chhibber, P., & Jensenius, F. (2011). Citizens, Society, and the State: Crafting An Inclusive Democracy in South Asia. Oxford University Press.
4. Desai, S., & Kulkarni, V. (2008). Changing Educational Inequalities in India in the Context of Affirmative Action. Demography, 45(2), 245–270.
5. Dreze, J., & Sen, A. (2013). An Uncertain Glory: India and its Contradictions. Princeton University Press.
6. 6. Goetz, A. M., & Jenkins, R. (2001). Hybrid Forms of Accountability: Citizen Engagement in Institutions of Public-Sector Oversight in India. Public Management Review, 3(3), 363–383.
7. https://andjournalin.files.wordpress.com/2020/09/2019b_19-1.pdf
   पंचायती राज में महिलाओं की राजनीतिक, प्रशासनिक भूमिका: एक अवलोकन डॉ तिवारी गीता डॉ- हेमचन्द्र
8. Pal, L. A. (2008). Beyond Policy Analysis: Public Issue Management in Turbulent Times. Pearson Education India.
9. *प्रीति सतपथी. महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार: विश्लेषणात्मक अध्ययन.* Int. J. Rev. & Res. Social Sci. 2(2): April-June 2014; Page 144-147 doi:
10. *शोध आलेख पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका झारखंड के विशेष संदर्भ में*
11. *जगन मैथ्यूज, आ.* (2012 , dec. monday). *भारत निर्माण सेवक पंचायतीराज व्यवस्था एवं ग्राम सभा. दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0 प्र0* , pp. 1-2 .